भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3424
उत्तर देने की तारीख 01 अप्रैल, 2022

भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड के अंतर्गत सेवाएं

3424. श्रीमती फूलो देवी नेतम:
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्ष 2022 तक सभी गांवों के लिए ब्रॉडबैण्ड उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) "सर्विस रेडी", "सर्विस ओपन" और "फंक्शनल" की परिभाषा क्या है; और
(घ) वर्ष 2016 से आज की तारीख तक "सर्विस रेडी", "सर्विस ओपन" और "फंक्शनल" की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत गांवों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) और (ख) देश में सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा ब्रॉडबैंड सेवाएं चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन देश की ग्राम पंचायतों (जीपी) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है। दिनांक 28.02.2022 तक कि स्थिति के अनुसार 5,67,941 कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाकर 1,68,010 ग्राम पंचायतों को ओएफसी मीडिया पर सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा 4351 ग्राम पंचायतों को सेटेलाइट मीडिया पर सेवा प्रदान करने हेतु तैयार कर दिया गया है। भारतनेट परियोजना के तहत देश में कुल 1,72,361 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है। हाल ही में भारतनेट के कार्य-क्षेत्र को देश में ग्राम पंचायतों से बढ़ाकर सभी बसे हुए गांवों तक कर दिया गया है।

भारतनेट परियोजना के तहत तैयार की गई अवसंरचना एक राष्ट्रीय सम्पति है जो सेवा प्रदाताओं को बिना भेद-भाव के उपलब्ध है और इसका उपयोग वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू होम (एफटीटीएच) कनेक्शनों, लीज्ड लाइनों, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के लिए बैकहॉल जैसी ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।

भारतनेट व्यापक स्वरूप की एक चुनौतिपूर्ण परियोजना है क्योंकि देशभर के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें (जीपी) विस्तृत रूप में फैली हुई हैं। भारतनेट चरण-।। के अधीन 8 राज्यों में लगभग 65,000 ग्राम

पंचायतों को राज्य आधारित मॉडल के तहत कार्यान्वित किया जा रहा हैं। इसका कार्यान्वयन तय समय-सीमा में पूर्ण नहीं हो रहा है और परियोजना के पूरा होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों (पर्वतीय/चट्टानों सहित) को कवर करने, मार्गाधिकार के मामलों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में भी पहुंचने में कठिनाई के कारण अन्य समस्याओं का परियोजना के कार्यान्वयन में सामना करना पड़ा।

(ग) सर्विस रेडी ग्राम पंचायतों, सर्विस ओपंड ग्राम पंचायतों और फंक्शनल ग्राम पंचायतों की परिभाषा इस प्रकार से है।

सर्विस रेडी ग्राम पंचायतें: कोई भी ग्राम पंचायत जिसकी ई2ई (अंत से अंत तक) जांच ठीक है, जीपी उपकरण स्थापित है, पावरड ऑन कॉन्फ्रिगेशंस पूर्ण है, ब्लॉक नोड से जुडा हुआ है और एनओसी पर चालू स्थिति में है।

सर्विस ओपंड ग्राम पंचायतें: सेवा के लिए तैयार ऐसी ग्राम पंचायतें जहां ब्रॉडबैंड जांच सहित स्वीकृत जांच पूरी हो गई हो।

फंक्शनल ग्राम पंचायतें: ग्राम पंचायतें जिनकी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (एनओसी) पर स्थिति "अप" के रूप में दिखाई गई हो।

(घ) वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

<u>अनुबंध-I</u>

राज्य सभा के दिनांक 01.04.2022 के अतरांकित प्रश्न सं. 3424 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सर्विस रेडी ग्राम पंचायतों और सर्विस ओपंड ग्राम पंचायतों का (वर्ष 2016 से फरवरी 2022 तक) वर्ष-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	**दिनांक**	**सर्विस रेडी ग्राम पंचायतें (संचयी)***	**सर्विस ओपंड ग्राम पंचायतें (संचयी)***
1	मार्च 2016	6547	6547
2	मार्च 2017	17931	17931
3	मार्च 2018	106285	82613
4	मार्च 2019	118519	114454
5	मार्च 2020	138409	135022
6	मार्च 2021	158124	148878
7	फरवरी 2022	176171	163124

*ब्लॉक मुख्यालयों सहित

टिप्पणी: फंक्शनल ग्राम पंचायतों की संख्या दैनिक आधार पर बदलती है।

*****